झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान-सभा
द्वितीय (बजट)-सत्र
वर्ग- 05

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, शुक्रवार, दिनांक- 30 फाल्गुन, 1941 (श0) ....को
20 मार्च, 2020 (ई0)

झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे।

क्रमांक	विभागों को भेजी गयी सां0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
1-	2.	3.	4.	5.	6.
"क" 70.	अ0सू0-26	श्री सरयु राय	विधि सम्मत कार्रवाई।	विधि	07.03.20

नोट :- "क" दिनांक- 13/03/2020 को सदन द्वारा दिनांक- 20/03/2020 के लिए स्थगित।

राँची
दिनांक- 20 मार्च, 2020(ई0)।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक सं0- प्रश्न- 06/2020......1087..../वि0स0, राँची, दिनांक- 16/03/2020
प्रति :- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/ मा0 मंत्रिगण/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.03.2020
(रामआशीष यादव)
अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक सं0- प्रश्न- 06/2020......1087..../वि0स0, राँची, दिनांक- 16/03/2020
प्रति :- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

16.03.2020
अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक सं0- प्रश्न- 06/2020......1087..../वि0स0, राँची, दिनांक- 16/03/2020
प्रति :- कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा एवं वेबसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

16.03.2020
अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

निरंजन

16.03.2020

सत्यमेव जयते

पंचम

झारखण्ड विधान-सभा

द्वितीय (बजट) सत्र

वर्ग-05

शुक्रवार, दिनांक- 30 फाल्गुन, 1941 (श0)
20 मार्च, 2020 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या- 01 (एक)

1. विधि विभाग - 01

कुल - 01

विधि सम्मत कार्रवाई

श्री सरयू राय, क्या मंत्री विधि विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्र० सं०	प्रश्न	प्रभारी मंत्री उत्तर
1.	क्या बात सही है कि राज्य के महाधिवक्ता ने अपने पत्रांक-6777,. दिनांक-04.07.17 द्वारा मुकदमा सं०-LPA No.- 236/2012 के संबंध में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के एक निर्देश के बारे में सरकार को निम्नलिखित सूचना दिया है:-" The matter was listed on 03.07.17 request made by the undersigned to the Hon'ble Court and the undersigned also pressed the said I.A however Hon'ble adjournment Was prayed by the other side on one plea or the other. The Hon'ble Court has upon the undersigned pressing for leave in the light of the status quo order, however made oral observations that the State Govt. is free to take corrective measures pass necessary orders and take necessary actions with respect to the matters and the status quo order passed by the Hon'ble Court may not stand in the way of the State Govt. in taking corrective decision or action if the same is in accordance with law."	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये उत्तर प्रतिवेदन के आधार पर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वास्तव में LPA No.- 236/2012 (M/s Tata Steel Ltd. Vrs. State of Jharkhand & Ors.) में दिनांक-03.07.17 को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा प्रदत्त Oral Observation के संबंध में पत्रांक-6777, दिनांक-04.07.17 के द्वारा तत्कालीन अपर महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा इस विभाग को पत्र भेजा गया है, जो कालान्तर में महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त किये गये थे।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त तिथि को माननीय झारखण्ड उच्चच न्यायालय ने ऐसा कोई निर्देश/आदेश नहीं दिया था और इसकी संपुष्टि किये बिना ही सरकार के संबंधित विभाग ने आनन-फानन में अनुचित कार्रवाई कर दिया जिससे एवं नागरिक के अधिकार पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ा;	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये उत्तर प्रतिवेदन के आधार पर विधि विभाग का उत्तर प्रतिवेदन निम्नरूपेण है:- महाधिवक्ता का पद एक संवैधानिक पद है। माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई के क्रम में माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा यदि कोई बात मौखिक रूप से कहा जाता है एवं उस मौखिक बात को अपर महाधिवक्ता/ महाधिवक्ता द्वारा लिखित रूप में विभाग को संसूचित किया जाता है तो विभाग को उक्त पत्र पर

अविश्वास करने का कोई औचित्य नहीं बनता है।

प्रश्नगत भूमि पर कायम अवैध जमाबंदी को रद्द करने हेतु उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के पत्रांक-487/टी0एल0, दिनांक-15.10.16 के द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में बिहार /झारखण्ड सुधार अधिनियम, 1950 की धारा-4(h) के तहत् अग्रेतर कार्यवाही करने तथा दोषी पदाधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने हेतु विभागीय पत्रांक-5835/रा0 , दिनांक-04.11.16 के द्वारा निदेशित किया गया। तत्पश्चात् तत्कालीन अपर महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय से प्राप्त पत्रांक-6777, दिनांक-04.07.17 के द्वारा संसूचित Oral Observation के आलोक में विषयांकित मामले पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने हेतु विभागीय पत्रांक-3577/रा0, दिनांक-10.07.17 के द्वारा उपायुक्त को निदेशित किया गया।

उक्त क्रम में तत्कालीन महाधिवक्ता, झारखण्ड के द्वारा अपर महाधिवक्ता के रूप में लिखे गये अपने पत्रांक-6777, दिनांक-04.07.17 के आलोक में निर्गत विभागीय पत्रांक-3577/रा0, दिनांक-10.07.17 को संशोधित करने हेतु पत्रांक-3931, दिनांक-26.04.18 के द्वारा निदेशित किया गया। प्राप्त पत्र के आलोक में उक्त आदेश को विभागीय पत्रांक-1819/रा0 , दिनांक-26.04.18 के द्वारा संशोधित करते हुए मामले विधिसम्मत कार्रवाई करने हेतु उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को निदेशित किया गया है।

संबंधित भूमि पर श्री दलजीत सिंह के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द करते हुए अभिलेख सं0-29/2017-18 को प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। प्रस्तुत मामला माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित stay order आदेश से आच्छादित होने के कारण इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है।

		मामले में हुवर वाद सं०-W.P.(C) no. 4311/2017, सरदार दलजीत सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-14.08.19 को dismiss कर दिया गया है। यद्यपि इसी विषय से संबंधित वाद LPA No.- 236/2012 (M/s Tata steel Ltd. Vrs. State of Jharkhand & Ors.) में दिनांक-15.06.12 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित status Quo आदेश वर्त्तमान में लंबित है। उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि विभाग द्वारा तत्तकालीन अपर महाधिवक्ता/ महाधिवक्ता के पत्र के आलोक में उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को मात्र नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि तत्कालीन महाधिवक्ता का यह कृत्य प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की श्रेणी में आता है।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा प्रदत्त उपरोक्त प्रश्न सं०-1 एवं 2 के उत्तर में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की बात नहीं कही गई है, जो कि जाँच का विषय हो सकता है।
4.	यदि उपर्युक्त कंडिकाओं के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार बतायेगी की इस संबंध के महाधिवक्ता पर विधि सम्मत कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त प्रश्न संख्या-3 के उत्तर से स्थिति स्वतः स्पष्ट है।

नोट-"क" -दिनांक-13.03.2020 को सदन द्वारा दिनांक- 20.03.2020 के लिए स्थगित।

झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान सभा
द्वितीय (बजट)–सत्र
वर्ग–05

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, शुक्रवार, दिनांक– 30 फाल्गुन, 1941 (श०) को 20 मार्च,2020 (ई०) झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्रमांक	विभागों को भेजी गयी सां०संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
118.	अ0सू0–18	श्री प्रदीप यादव	अवैध शराब निमार्ण पर रोक।	उत्पाद एवं मद्य निषेध	29.02.2020
119.	अ0सू0–17	श्री प्रदीप यादव	शवों को निःशुल्क पहुँचाना।	स्वा0 चि0 शि0 एवं परि0 क0	29.02.2020
120.	अ0सू0–27	श्री समीर कुमार महांती	करोना वाईरस से बचाव।	स्वा0 चि0 शि0 एवं परि0 क0	12.03.2020
121.	अ0सू0–23	श्री जयप्रकाश भाई पटेल	किसानों को हक दिलाना।	रा0 नि0 एवं भूमि सुधार	07.03.2020
122.	अ0सू0–28	श्री चमरा लिण्डा	Written Statment	रा0 नि0 एवं भूमि सुधार	13.03.2020

राँची
दिनांक–20 मार्च, 2020

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या–06/2020–1083 /वि0स0, राँची, दिनांक–16/3/20

प्रति :– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/मा0 मुख्यमंत्री/मा0 मंत्रिगण/मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

16.03.2020
(रामआशीष यादव)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-06/2020-1083/वि0स0, राँची, दिनांक-16/3/20

प्रति :- अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

16.03.2020
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-06/2020-1083/वि0स0, राँची, दिनांक-16/3/20

प्रति :- कार्यवाही शाखा, वेबसाईट शाखा, ऑनलाईन शाखा, प्रश्न शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

16.03.2020
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

16/03/2020

(118)

श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक – 20/03/2020 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–18 का उत्तर

क्रमांक	प्रश्नकर्त्ता– श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0	उत्तरदाता–श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री
1	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने अवैध मदिरा के चौर्य व्यापार पर Excise Intelligence Bureau (EIB) निगरानी कोषांग एवं जिला स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया है ?	स्वीकारात्मक है। अवैध मदिरा के विनिर्माण एवं चौर्य व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण हेतु मुख्यालय स्तर पर उत्पाद निगरानी कोषांग [Excise Intelligence Bureau] एवं जिला स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। [Excise Intelligence Bureau] का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य तक है। साथ ही जिला स्तर पर उत्पाद पदाधिकारियों के द्वारा जिला पुलिस बल के सहयोग से लगातार छापामारी की जाती है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त ब्यूरो एवं टास्क फोर्स की निष्क्रियता के कारण अवैध मदिरा का निमाण एवं चोर बाजारी धड़ल्ले से जारी है ?	अस्वीकारात्मक है। सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में मदिरा के चौर्य व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण हेतु मुख्यालय स्तर पर उत्पाद निगरानी कोषांग [Excise Intelligence Bureau] एवं जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित व क्रियाशील है। विविध माध्यमों से प्राप्त आसूचना के आधार पर इसके द्वारा छापामारी कार्य किया जाता रहा है। पिछले कुछ वर्षों में सम्पूर्ण राज्य में किये गये छापामारी में दर्ज अभियोगों की संख्या, गिरफ्तारी आदि की विवरणी निम्नवत है:–

क0 सं0	वित्तीय वर्ष	दर्ज अभियोग की सं0	गिरफ्तार	जेल / हाजत
1	2017–18	8120	4801	503
2	2018–19	10029	5215	662
3	2019–20 (फरवरी तक)	11348	4715	1298

साथ ही वित्तीय वर्ष 2019–20 के माह फरवरी तक जप्त प्रदर्श की विवरणी निम्न रूपेण है–

अवैध चुलाई शराब – 222835.40 ली0
जावा महुआ – 1724881.25 कि0ग्रा0
अवैध देशी शराब – 16388.52 ली0
अवैध विदेशी शराब – 78530.70 ली0
बीयर – 4432 ली0
मसालेदार देशी शराब – 3244.0 ली0
अवैध सुषध – 42504.00 ली0
पचवई – 2378.00 कि0ग्रा0

(ii) अवैध मदिरा के चौर्य व्यापार पर नियंत्रण हेतु विभाग सूचना एवं प्रौद्योगिकी माध्यमों (IT Solutions) का उपयोग कर रही है। इस निमित्त विभाग के वेबसाईड (Jharkhandupad.nic.in/excise) एवं (Jharkhandupad.nic.in/jsbcl) पर मदिरा के स्टॉक एवं MIS को लगातार अद्यतन कर कार्य किया जाता है। राज्य के अन्दर सभी उत्पाद परिवहन परमिट Online निर्गत किये जाते है। उत्पाद अनुज्ञप्तियों को पारदर्शी रूप से प्रदान करने के लिये

		लगभग सभी उत्पाद अनुज्ञप्तियों (Jharkhandupad.nic.in/jelons) के माध्यम से online प्रदान की जाती है। (iii) छापामारी के अलावे JSBCL के सभी गोदामों को CCTV कैमरा के माध्यम से मदिरा के परिचालन की सतत् निगरानी की जाती है। साथ ही मुख्यालय स्तर पर कंट्रोल रूम का गठन किया गया है जिसके द्वारा CCTV कैमरा के माध्यम से सभी 19C गोदामों की लगातार निगरानी की जा रही है। मदिरा के विनिर्माण, परिचालन, खपत व बिक्री को प्रभावी ढंग से नियंत्रण करने हेतु शीघ्र ही **Track & Trace** की व्यवस्था लागू करने की योजना पर विचार कर रही है। छापामारी को बेहतर करने के उद्देश्य से नवम्बर, 2019 में 30 नये वाहनों का क्रय कर जिलों को उपलब्ध करा दिया गया है, जिनका उपयोग छापामारी में किया जा रहा है। साथ ही मदिरा के चौर्य व्यापार व विनिर्माण पर प्रभावकारी नियंत्रण हेतु नये रेंज व सर्किल का गठन प्रक्रियाधीन है। ज्ञातव्य है कि विभाग में लगभग 80% पद रिक्त है। इस निमित्त 38 अवर निरीक्षक उत्पाद, 35 सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद एवं 518 उत्पाद सिपाही की भर्ती हेतु अधियाचना झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को उपलब्ध करा दी गई है। आयोग द्वारा कुल–518 उत्पाद सिपाहियों की लिखित परीक्षा का आयोजन भी किया जा चुका है। अवर निरीक्षक उत्पाद, सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद एवं उत्पाद सिपाहियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हो जाने पर अवैध मदिरा के चौर्य व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकेगा।
3	क्या यह बात सही है कि अवैध निर्माण के कारण कई नरसंहार की घटना सामने आई है ?	अस्वीकारात्मक है। ज्ञातव्य है कि अवैध मदिरा के चौर्य व्यापार पर नियंत्रण हेतु विभाग प्रतिबद्ध है एवं विभाग द्वारा लागातार छापामारी कर अवैध मदिरा के निर्माण व व्यापार पर अंकुश लगाया जाता है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पर Excise Intelligence Bureau (EIB) निगरानी कोषांग एवं जिला स्तर पर टास्क फोर्स को प्रभावी कर अवैध शराब निर्माण पर अंकुश लगाना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका 2 एवं 3 से स्थिति स्पष्ट है।

झारखंड सरकार
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

ज्ञापांक–03 / विधायी–04–06 / 2020– 530 रांची दिनांक– 19.03.20

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय के ज्ञाप सं0 प्र.–503 / वि0स0 दिनांक –29.02.2020 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.3.20.

सरकार के संयुक्त सचिव

(119)

श्री प्रदीप यादव, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–20.03.20 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–17 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभाग द्वारा शव वाहनों का क्रय कर मेडिकल कॉलेजों एवं जिला अस्पतालों में उपलब्ध कराया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त संस्थानों यथा–रिम्स, एम0जी0एम0 इत्यादि में गरीब रोगियों के मृत्यु पश्चात् उनके शवों को 100 किलो मीटर से अधिक सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उनके घरों तक निःशुल्क पहुँचाने की कोई व्यवस्था नहीं है ;	अस्वीकारात्मक। यह सेवा झारखण्ड राज्य में बी0पी0एल0 एवं 72000/– रूपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। राज्य से बाहर शव ले जाने की स्थिति में एक तरफ की अधिकतम दूरी 500 किलोमीटर निर्धारित है।
3-	क्या यह बात सही है कि शव को, शव वाहन द्वारा सुदूर गाँव तक नहीं ले जाने के कारण गरीब परिजनों को आर्थिक बोझ वहन करने में परेशानी होती है;	अस्वीकारात्मक।
4-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गरीब मरीजों के शवों को निःशुल्क ससमय उनके घरों तक पहुँचाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखंड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि0स0–07-16/2020 109 (15) राँची, दिनांक–19-03-2020

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०–549 दिनांक–29-02-2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.03.2020

सरकार के संयुक्त सचिव

Tiwari

120

माननीय श्री समीर कुमार महान्ती, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 20.03.2020 को सदन में पूछा जाने वाला
अल्पसूचित प्रश्न सं0-अ0सू0-27 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1. क्या यह बात सही है, कि करोना वाईरस का सर्वप्रथम हुहान शहर, चीन में पता चलने के बाद से पूरी दुनिया में फैल चुकी है ;	स्वीकारात्मक। विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना वायरस (COVID-19) को ग्लोबल इमरजेंसी (Pandemic) घोषित कर चुका है।
2. क्या यह बात सही है कि भारत के कुछ राज्य में करोना वाईरस से पीड़ित लोगों की पहचान की समुचित व्यवस्था की जा रही है ;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बतलायेगी कि झारखण्ड में उक्त वाईरस के बचाव संबंधित क्या-क्या उपाय किये जा रहें है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	स्वीकारात्मक। वर्त्तमान में झारखण्ड राज्य में कोरोना वायरस से प्रभावित राष्ट्रों से केन्द्र सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर यात्रियों की सतत् निगरानी की जा रही है तथा जाँचोपरांत अभी तक कोरोना रोग की पुष्टि नहीं हुई है। बचाव हेतु आवश्यक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है तथा विभिन्न जिलों एवं चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में Isolation ward, Quarantine Center एवं जाँच केन्द्र बनाया जा चुका है। इस संबंध में The Jharkhand State Epidemic Disease (COVID-19) Regulation, 2020 से सम्बन्धित अधिसूचना निर्गत की जा चुकी है तथा विभागीय प्रधान सचिव के पत्रांक 80 (HSN) दिनांक 11.03.2020 तथा मुख्य सचिव, झारखण्ड के पत्रांक 62 (13) दिनांक 16.03.2020 के द्वारा सभी उपायुक्तों को दिशा निदेश जारी किये गये हैं।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक-21/वि0 स0-06-04/2020 - 12 (21) स्वा0/राँची/दिनांक- 19-3-2020
प्रतिलिपि-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0 979/वि0स0 दिनांक 12.03.2020 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/03/2020
सरकार के अवर सचिव।

121

श्री जयप्रकाश भाई पटेल, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–20.03.2020 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–23 का प्रश्नोत्तर –

क्र.	प्रश्न		उत्तर
	श्री जयप्रकाश भाई पटेल, माननीय स. वि.स.		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है, कि राज्य में गैर मजरूआ खास भूमि जिस पर रैयत का 70–80 वर्षों से दखल–कब्जा एवं जोत आबाद करते आ रहे है, जिस भूमि का जमाबन्दी कायम कर सरकारी रसीद निर्गत किया जा चुका है, जिसे सरकार द्वारा BLR Act के तहत् 4 H की कार्रवाई कर दी गयी है ;		स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि BLR Act 4 H के कारण किसानों को घोर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;		• मुख्य सचिव, झारखण्ड के स्तर से निर्गत विभागीय पत्रांक–2074, दिनांक–13.05.2016 द्वारा अवैध/ संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच एवं समयबद्ध प्रभावकारी तरीके से अवैध जमाबंदी को रद्द करने हेतु दिशा–निदेश निर्गत है। • दिनांक–01.01.1946 के पूर्व निबंधित (विक्रय पत्र/पट्टा/ हुकुमनामा) के आधार पर पंजी–II में संधारित गैरमजरूआ भूमि से संबंधित जमाबंदियों के मामलों में नियमानुसार नियमित योग्य पाये जाने पर विनियमितिकरण किये जाने तथा ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करने का दिशा–निदेश विभागीय पत्रांक–2861, दिनांक–08.06.2017 द्वारा निर्गत है। • दिनांक–03.07.2018 को मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या–18 में अन्यान्य के रूप में निर्णय लिया गया कि "अवैध/संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँचोपरान्त रद्द करने के संबंध में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत निर्देश पत्रांक–2074/रा0, दिनांक–13.05.2016 के क्रम में अवैध जमाबंदी रद्द करने हेतु खोले गए अभिलेखों पर अंतिम आदेश पारित होने तक पूर्व में निर्गत मैनुअल लगान रसीद के आधार पर ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। अवैध जमाबंदी के अभिलेखों में पारित अंतिम आदेश से उपरोक्त निर्णय प्रभावित होगा। वैसे सभी अन्य मामले, जिसमें किसी प्रकार की कार्यवाही के बिना भी लगान रसीद निर्गत किया जाना बाधित है, उन सभी मामलों में भी ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करने की व्यवस्था करते हुए रसीद निर्गत किया जाय।" उक्त निर्णय के अनुपालन हेतु विभागीय पत्रांक–2884/रा., दिनांक–10.07.18 द्वारा सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को संसूचित है। • मंत्रिपरिषद के उक्त निर्णय के आलोक में दि0–17.03.2020 तक गैरमजरूआ भूमि के कुल 62628 लगान रसीद निर्गत किये जा चुके है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार अविलम्ब BLR Act 4 H की कार्रवाई को निरस्त कर गैर मजरूआ खास भूमि पर किसानों को हक अधिकार दिलाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं		• विभागीय संकल्प सं.–6144/रा., दिनांक–21.12.17 द्वारा अवैध/संदेहास्पद जमाबंदी रद्द करने के प्रसंग में सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीन व्यक्तियों के साथ भूमि बंदोबस्ती/संदेहास्पद जमाबंदी नियमितीकरण के संदर्भ में आदेश निर्गत है।

	तो क्यों?		• उक्त संकल्प के प्रावधानानुसार सुयोग्य श्रेणी के अन्तर्गत (क) अनुसूचित जाति (ख) अनुसूचित जनजाति (ग) पिछड़ा वर्ग (सूची–1 एवं 2) (घ) वैसे सैनिक/अर्द्धसैनिक बल के सदस्य जो कर्तव्य निर्वहन के दौरान वीरगति प्राप्त/शहीद हुए हो, के उत्तराधिकारी (ङ) 1947 के विभाजन तथा उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान एवं बर्मा से आये हुए शरणार्थी (च) सामान्य जाति के भूमिहीन परिवार (छ) भूमिहीन दिव्यांग तथा (ज) कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद हुए राज्य के पुलिस कर्मी आयेंगे। • उक्त संकल्प के आलोक में सुयोग्य श्रेणी के वैसे भूमिहीन, जिनके नाम से सरकारी भूमि जिसपर वे 1985 के पूर्व से दखलकार है तथा जिनकी संदेहास्पद/अनियमित जमाबंदी पंजी–II में चल रही अथवा उक्त भूमि पर उनका मकान बना हुआ हो परन्तु उनके पास सक्षम प्राधिकार द्वारा भूमि बंदोबस्त करने संबंधी दस्तावेज (गृह स्थल/वासगीत पर्चा संबंधी साक्ष्य) उपलब्ध न हो तो उन्हें उसी मौजा में जहाँ उसका वासस्थल हो समुचित सत्यापन कर अधिकतम एक माह में उनकी जमाबंदी को उनके/उत्तराधिकारी के नाम से नियमित कर दिया जायेगा ताकि सुयोग्य श्रेणी व्यक्तियों को सरकार के नीति के अनुरूप आवास हेतु 12.5 डिसमिल एवं कृषि कार्य हेतु 5.00 एकड़ तक की भूमि बंदोबस्ती की जा सके। • प्रावधानानुसार वीरगति प्राप्त/शहीद सैनिक एवं अर्द्धसैनिक बल/कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद हुए राज्य के पुलिस कर्मी के व्यक्ति के साथ उसी जिला में भूमि की बंदोबस्ती की जा सकेगी, जिस जिला में उनका वास स्थान हो। • सैनिक एवं अर्द्धसैनिक बल/कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद हुए राज्य के पुलिस कर्मी के मामलों को छोड़कर सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीन परिवार के व्यक्ति जो सरकारी सेवा में है/सेवानिवृत्त है/आयकर दाता है के साथ भूमि की बंदोबस्ती नहीं की जायेगी। • उपर्युक्त निदेश/निर्णय/संकल्प के आलोक में आवश्यक कार्रवाई हेतु विभागीय पत्रांक–3148/रा0, दिनांक–25.07.18, पत्रांक–4866/रा0, दिनांक–10.12.18, पत्रांक–1776/रा0, दिनांक–16.05.19 एवं पत्रांक–2024, दिनांक–07.06.19, पत्रांक–511, दिनांक–07.02.2020 एवं पत्रांक–695/रा0, दिनांक–25.02.2020 द्वारा सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को संसूचित है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–5/स0मू0 (वि0स0 अल्प–सूचित)–33/2020 1095 (5)/रा., राँची, दिनांक 19-03-2020

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं.–860/वि.स., दिनांक–07.03.2020 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मा0 मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.3.2020

सरकार के अवर सचिव

E:\bidhan sabha\Prasnuttar 2020.docx

(122)

श्री चमरा लिण्डा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–20.03.2020 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–28 का प्रश्नोत्तर

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री चमरा लिण्डा, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि सी0एन0टी0 एक्ट 1908 धारा–46 के (3-A) में निम्न प्रावधान है – Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the Deputy Commissioner shall be a nacessary party in all suits of a civil nature relating to any holding or portion there of in which one of the parties to the suits is a member of the Scheduled Tribes and the other party is not a member of the Scheduled Tribes"	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियमन 1969 के शिडयुल 1 में निम्न प्रावधान है – " Provided that in suits for declaration of title or for possession relating to immovable properties, of member of the scheduled tribes as specified in part III to the Schedule to the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950" the Deputy Commissioner concerned shall also be joined as a defendant"	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त प्रावधान के बावजूद व्यवहार न्यायालयों में दर्ज Title Suit में Deputy Commissioner के पक्ष से Written Statement दाखिल नहीं की जाती है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। उपायुक्त के संज्ञान में आने पर उपायुक्त की ओर से जिला के सरकारी अधिवक्ता (GP) माननीय न्यायालय में पक्ष रखा जाता है।
4	यदि उपर्युक्त कंडिकाओं के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या मंत्री सूची के साथ यह अवगत कराने की कृपा करेंगे कि वर्ष–2015 से 2019 तक कितने मामलों में Deputy Commissioner का पक्ष से Written Statement दाखिल किया गया है ?,	विभागीय ज्ञापांक–1015, दिनांक–16.03.2020 द्वारा सभी उपायुक्त, झारखण्ड को वर्ष–2015 से 2019 तक Deputy Commissioner की ओर से दायर की गयी Written Statement की सूची की मांग की गयी है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सूची उपलब्ध करा दी जाएगी।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक:– 6 / वि0स0(अल्प–सूचित)–75 / 2020...1083... / रा0, दिनांक–19-03-2020

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–1018 वि0स0, दिनांक–13.03.2020 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/3/20

सरकार के संयुक्त सचिव।